

जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB12, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8062 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ-0.125775 मिलियन टीपीए, निकट गांव- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, चूना पत्थर खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलेक्टर, नागौर के प्रतिनिधि श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर की उपस्थिति में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर में दिनांक 06/02/2026 को दोपहर 01:00 बजे आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" एवं "राजस्थान पत्रिका" में दिनांक "01/01/2026" को प्रकाशित करवाई गई थी, जिनकी प्रतियाँ परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने सभी आगुन्तकों का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते हैं। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर (राज.)

राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स जे.एम. एनवायरोनेट प्राईवेट लिमिटेड को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स जे.एम. एनवायरोनेट प्राईवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना निकट गांव— सरासनी, तहसील— नागौर, जिला— नागौर (राज.) में खनिज— चूना—पत्थर खनन हेतु प्रस्तावित है, जिसका ब्लॉक नंबर— PSB12, प्रस्तावित क्षेत्र— 4.8062 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ—0.125775 मिलियन टीपीए, निकट गांव— सरासनी, तहसील— नागौर, जिला— नागौर (राज.) में स्थित है, चूना पत्थर खनन परियोजना है। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

सर्वप्रथम कैप्टन मेघाराम, ग्राम सरासनी ने कहा कि लीज प्रक्रिया इतनी हार्ड क्यों की गई है, अन्यथा लीज किसानों को भी दी जा सकती है, इसकी ऊंचाई तय कर रखी है कि हर कोई आम आदमी तो ले ही नहीं सकता। इसके कारण एक कंपनी लीज लेकर अपनी मनमर्जी करती हैं। कंपनी को हमारा मालिक बना दिया, कंपनी अपने हिसाब से जमीन की रेट देती है। अगर इसके अंदर कंपटीशन होगा तो जमीन की रेट बढ़ेगी। अतः यह लीजें किसानों को क्यों नहीं दी जा रही है, इसका कारण बताएं। लीज प्रक्रिया को आसान किया जाये।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

एडीएम महोदय ने कहा कि कैप्टन साहब का प्रश्न है कि लीज बड़ी क्यों रखी जाती है, छोटी-छोटी लीजें आवंटित क्यों नहीं की जाती। ऐसी कोई प्रक्रिया बननी चाहिए, जिसमें छोटी लीज भी हो। आपकी बात सक्षम स्तर तक जरूर पहुंचायेंगे। जहां तक मुझे जानकारी है, ऐसे मिनरल्स जो हेवी इंडस्ट्रीज के लिए काम आते हैं, इनकी लीज बहुत बड़ी रखी जाती है, क्योंकि कोई भी सीमेंट प्लांट लगता है, तो उसे आगे के 50 साल माल चाहिए, ऐसी परिकल्पना करके की जाती है। लेकिन अगर कोई चूना भट्टा लगता है, तो वह 5 हेक्टर की जमीन से 100 साल तक चल सकता है, परंतु सीमेंट प्लांट को 50 साल के लिए बहुत बड़ा भंडार चाहिए। सरकार का भी मानना है कि इन्वेस्टमेंट पांच लोगों के लिए या 5000 लोगों के रोजगार के लिए स्थापित होना चाहिए। वर्तमान में सीमेंट इंडस्ट्री आधारभूत इंडस्ट्री में आती है, डेवलपमेंट के लिए इतनी मात्रा में सीमेंट चाहिए कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए नॉर्थ इंडिया में लाइमस्टोन के जहां भी भंडार हैं, वहां सीमेंट इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता है। आपकी बात भी स्वागत योग्य है, जहां भी आपकी बात हम पहुंचाने का स्कोप रखते हैं, जरूर पहुंचायेंगे।

कैप्टन मेघाराम, ग्राम सरासनी ने कहा कि जब लीज कंपनी को दे दी, तो कंपनी अपनी मनमर्जी करेगी, मैं किसी दूसरे के खेत में जाकर क्या पत्थर खोद सकता हूँ?

एडीएम महोदय ने कहा कि लीज आवंटन की प्रक्रिया के संबंध में हमें क्षेत्रीय अधिकारी महोदय अवगत करवाएंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने बताया कि जिस प्रकार अपने क्षेत्र में लाइमस्टोन का भंडार है, सरकार सर्वप्रथम क्षेत्र को आईडेंटिफाई करती है तथा उनके ब्लॉक्स बनाती है। ब्लॉक्स को ऑक्शन के द्वारा, जैसे लाइमस्टोन मुख्यतः सीमेंट में काम आता है, तो उसमें सीमेंट प्लांट वाली कंपनियां या उद्योगों आदि शामिल होते हैं। साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि मिनरल्स पर सरकार का अधिकार है। सरकार ने सीमेंट इंडस्ट्री को ऑक्शन में इनवाइट किया एवं जिसको ऑक्शन में माइन्स मिली, उसे माइन्स दी।

कैप्टन मेघाराम ग्राम सरासनी ने कहा कि अगर कंपनी मर्जी करती है, तो उसका क्या इलाज है? इसके प्रति उत्तर में एडीएम महोदय ने कहा कि जमीन रेट को लेकर यह है कि अगर सरकार भूमि आवप्त करके देती तो सरकार डीएलसी पर भूमि आवप्त करती, वह रेट बहुत कम मिलती। लेकिन इस क्षेत्र में अगर किसी


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
नागौर (राज.)

को लीज मिलती है, तो काश्तकार अथवा गांव एवं कंपनी दोनों मिलकर रेट तय करते हैं कि क्या रेट होगी, इस रेट पर ही कंपनी जमीन खरीदती है। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती जमीन बेचने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसे कैप्टन साहब आपकी जमीन है, आप जिस रेट पर देना चाहेंगे, उसी रेट पर खरीदार लेगा।

कैप्टन मेघाराम ग्राम सरासनी ने कहा कि जब हमारी जमीन की लीज ही कंपनी ने ले ली, तो हमारे पास अधिकार क्या है? मैं किसी दूसरे को तो बैच ही नहीं सकता केवल कंपनी ही लगी।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा कि मेजर मिनरल्स, जैसे लाइमस्टोन पर सरकार द्वारा पॉलिसी है कि उनकी ऑक्शन सरकार ही करेगी। अगर छोटी माइंस है और आप उसमें भाग लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, जो एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। जो भी मिनरल्स है, उनके लिए ऑक्शन सरकारी ही करेगी सीधे आवंटित नहीं की जा सकती। मार्बल लाइमस्टोन आदि जैसे जो भी मेजर मिनरल हैं आप भी उनमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कैप्टन मेघाराम ग्राम सरासनी ने कहा कि इतना ही निवेदन है कि इस प्रक्रिया को आसान किया जाये, जिससे सबको मौका मिले। इसके साथ एक और निवेदन है कि जिस जमीन पर रेलवे लाइन निकालनी है उस जमीन की भी रेट 11 लाख एवं जहां एक बीघे में कंपनी खरबों रुपए कमायेगी, मटेरियल निकालकर उसके भी 10 लाख। इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जहां अरबों रुपए कमायेगी, वहां की रेट को ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है?

एडीएम महोदय ने कहा कि मैं पुनः यह बता रहा हूं कि जो गांव की एवं किसानों की रेट होगी, उसी रेट पर कंपनी जमीन खरीदेगी। आप लोगों को ही तय करना है, कि किस उद्देश्य के लिए कितनी रेट आप लोगों को निर्धारित करनी है, इसमें जमीन के मालिक एवं कंपनी को ही तय करना है। इसमें तीसरा पक्ष बीच में शामिल नहीं होता है। सरासनी गांव से एवं जिनकी जमीन इस ब्लॉक में जमीन आ रही है, वह भी अपनी बात रखें।

श्री सुनिल भाम्भू, ग्राम सरासनी ने कहा कि लगभग सभी मांगे परमेश्वर जी ने रख दी हैं, लेकिन एक छोटी सी मांग है कि गांव में पानी की टंकी बनानी चाहिए। आप यहां जो गार्डन लगा रहे हैं, जिसे ट्री गार्डन बोला जा रहा है, जिसमें 90 प्रतिशत वृक्ष नीम के और नाम है ट्री गार्डन। जबकि ट्री गार्डन में गेट होना


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर (राज.)

चाहिए तथा उसमें धोब लगा करके एक रियल ट्री गार्डन होना चाहिए। पर्यावरण के लिए केवल इतना ही नहीं होना चाहिए कि आपने नीम खड़ा कर दिया और बोल दिया यह पूरा ट्री गार्डन हो गया, तो वह ट्री गार्डन नहीं होता है, इसमें सुधार किया जाता है। इसी के साथ विद्यालय में विकास, बालिकाओं के शिक्षा हेतु विकास की बात पहले ही बता दी गई हैं। साथ ही उदाहरण के तौर पर हमारे गांव का पर्यावरण 70 प्रतिशत शुद्ध है, इस बात की आप क्या गारंटी देते हैं कि, जब आप यहां खनन करेंगे तो हमारा पर्यावरण ग्रोथ करके अच्छा होगा या फिर कम होगा?

एडीएम महोदय ने कहा कि सुनील जी ने पर्यावरण के हितों की एवं पर्यावरण की बात की है। क्योंकि कल भी एक पब्लिक हियरिंग थी, जिसमें सीएसआर से बात हुई है। इसी के साथ बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र की जो तीन-चार कंपनियां हैं, उन्होंने पिछली बार हमारे अनुरोध पर नागौर में मिर्धा कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज एवं विधि कॉलेज के अंदर चार दिवारी के पास-पास दो अथवा तीन की लाइन में अच्छे पौधे, जो उस क्षेत्र में पनप सके, जो पेड़ बन सके तथा उनकी रक्षा के लिए तारबंदी तथा 3 साल का ठेका दिया था। उन पौधों की अच्छी ग्रोथ हुई है। मेरा कंपनी से निवेदन है कि जिस गांव में आप खनन करें, वहां पर इस प्रकार के स्कूल, खेल के मैदान आदि में, इसी प्रकार दो अथवा तीन की कतार में तारबंदी के साथ वृक्षारोपण करें, ताकि जंगल विकसित हो सके एवं दिखता हुआ पेड़ पौधों का काम हो सके।

श्री प्रशांत रंगा, सीएसआर, अंबुजा सीमेंट ने कहा कि जैसा कि आप ग्रामीणों ने बताया एवं एडीएम महोदय ने जिस प्रकार सुझाव दिया है हमारा पौधारोपण का भी मॉडल इस प्रकार का ही है। जहां भी स्कूल, अंगौर क्षेत्र, खुला क्षेत्र हैं एवं जहां ग्रामीण बताएंगे, वहां प्लांटेशन, फेंसिंग एवं उसके साथ उसके पानी एवं उसकी सुरक्षा का 3 साल तक के लिए लेकर उन्हें विकसित करेंगे।

श्री अर्जुनराम मेघवाल, ग्राम सरासनी ने कहा कि कंपनी ने हमसे जमीन ले ली है, काम के लिए भी बाहर के लोगों को लगा रखा है, हमें रोजगार नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए हम क्या करें? गांव में पानी का होद एवं शौचालय आदि भी नहीं हैं।

एडीएम महोदय ने कहा कि कंपनी से अनुरोध रहेगा कि स्थानीय लोग लंबे समय से रोजगार की मांग कर रहे हैं तो इस प्रकार से कोई पॉलिसी बननी चाहिए कि स्थाई एवं अस्थायी दोनों प्रकार से गांव के लोगों को रोजगार दिया जाये।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

स्थानीय लोगों से भी निवेदन है कि अपने जन प्रतिनिधियों से भी इसके संबंध में बात रखें क्योंकि कोई भी पॉलिसी विधानसभा, सांसद आदि में बनती है। अगर वहां से ऐसी पॉलिसी बनती है तो कंपनी को कानूनन मानना पड़ेगा।

श्री गणपतलाल, ग्राम सरासनी ने कहा कि एससी-एसटी की जमीन सामान्य, ओबीसी के साथ ली जाये, इसमें भेदभाव क्यों किया जा रहा है?

एडीएम महोदय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जमीन बेचना चाहता है, तो उसमें एससी-एसटी की धाराएं बीच में बाधक आती हैं, चूंकि अगर सरकार लेती है तो कोई बाधा नहीं आती है, परंतु कंपनी लेती है तो बाधा आती है और जमीन सीधे उनके खाते में जाती नहीं है। जब भी कंपनी एससी-एसटी की कोई जमीन लेवे, तो वह जमीन सरकार में सुपुर्द करवा देंगे। रेट वही तय रहेगी, जो काश्तकार एवं कंपनी के बीच में तय हो। अगर आप एवं कंपनी उसमें सहमत नहीं है, तो ऐसा मत करना। उसके बाद कंपनी उसे सरकार से अलॉटमेंट करवा सकती है, यह एक बीच का रास्ता है, जिससे कोई भेदभाव नहीं हो।

श्री गणपतलाल, ग्राम सरासनी ने कहा कि जब कोई धरना देता है तो उसकी जमीन जल्दी ले लेते हैं, अन्यथा ऐसा ही कहते हैं कि हम अभी नहीं लेंगे।

एडीएम महोदय ने कहा कि जिसकी फैक्ट्री लग गई उसके अलग बात है एवं जिसकी लगनी है, उसकी अलग बात है। कंपनी प्रतिनिधि एक बार बता दे कि जमीन कब ली जाएगी एवं किस प्रक्रिया पर ली जाएगी। यह स्पष्ट करें, ताकि कोई भेदभाव ना हो।

श्री चेतन रावल, यूनिट हेड, अंबुजा सीमेंट ने कहा कि कंपनी की लैंड प्रक्रिया है कि सर्वप्रथम पर्यावरण स्वीकृति आती है, पर्यावरण स्वीकृति आने के बाद राजस्थान सरकार के साथ लीज एग्रीमेंट होता है, उसके बाद ही जमीन खरीद करते हैं। यहां पास का ही अनुभव आपने देखा होगा कि हमारे आज तक जो भी जमीन खरीद हुई गवर्नमेंट एजेंसी को साथ रख कर ही हुआ है, ताकि फ्यूचर में भी कोई समस्या हो तो समाधान भी सरकार के द्वारा किया जा सके एवं इससे किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो। अतः हमारी यहां पर भी वही प्रक्रिया रहेगी, जिससे आज जो समस्या आ रही है कि 10 तरीके के अलग-अलग रेट है, हम भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो तो सब के सामंजस्य से हम जमीन खरीदेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान सरकार
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

श्री हुक्मराम, ग्राम सरासनी ने कहा कि वर्तमान में अंबुजा सीमेंट जहां पर माइनिंग कर रही है, वहां एयर क्वालिटी मशीन लगी है अथवा नहीं लगी है?

एडीएम महोदय ने कहा कि अंबुजा सीमेंट की पिछली जनसुनवाई में इस प्रकार की बात आई थी, जिसके उपरांत क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कंपनी को आदेश दिया था, इस आदेश के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी महोदय बताये।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा कि अंबुजा सीमेंट के प्लांट एवं माइंस के बाहर की तरफ एयर क्वालिटी के डिस्प्ले बोर्ड लगे हुए हैं, जिन पर रियल टाइम डाटा देख सकते हैं। पिछली जनसुनवाई में कंपनी को जो आदेश दिया गया था उसकी 15-20 दिन में पालना हो गई थी। प्लांट का प्लांट के गेट पर एवं माइंस का माइंस के गेट पर डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है।

श्री हुक्मराम, ग्राम सरासनी ने कहा कि वह लीज के नजदीक की जमीन पर जब खेती करेंगे तो उनमें सिलिकॉन्स के पार्ट्स आएंगे, उससे उसकी उपज क्षमता कम होगी।

एडीएम महोदय ने कहा कि आपकी बात समझ गया कि माइनिंग के पास, जहां खेती होगी तो खेती को नुकसान हो सकता है। कंपनी अपने माइनिंग प्लान और बफर जॉन के बारे में जानकारी दें।

पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि इस प्रस्तावित ब्लॉक का कुल एरिया 4.8062 हेक्टर है, इसमें से 1.31 हेक्टर एरिया अप्रभावित रहेगा। जिसमें कोई माइनिंग नहीं की जाएगी। प्रस्तावित परियोजना की बाउंड्री के चारों तरफ 7.50 मीटर की हरित पट्टी का विकास भी किया जायेगा।

श्री हुक्मराम, ग्राम सरासनी ने कहा कि आपकी बात से सहमत हूं कि हरित पट्टी का विकास भी किया जायेगा, लेकिन जो किसान उसके आसपास खेती करेगा क्या वह सिलिकोसिस का शिकार होगा अथवा नहीं होगा?

पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि यह जो 7.50 मीटर की हरित पट्टी है, इसमें तीन स्तर का पौधारोपण किया जाएगा तथा इस परियोजना में क्रेशिंग नहीं होगी। अतः आप जो प्रभाव बता रहे हैं इस प्रस्तावित ब्लॉक से कहीं भी नहीं होगा।

एडीएम महोदय ने श्री हुक्मराम से कहा कि आप मुंडवा सीमेंट प्लांट में विजिट करना, यहां जितने भी कम्पनी के लोग बैठे हैं, इन सब का घर वही है। हम खेती करने के लिए खेत में 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जाएंगे, लेकिन यह लोग


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)


अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

वहीं रहते हैं तथा मीडनिंग में जो कम्पनी प्रतिनिधि काम करते हैं, वह वहीं रहते हैं। आप मान कर चलें कि सरकार ने प्रदूषण को लेकर बहुत ठोस नियम बनाये है। 2022-23 में इसी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के कुछ मानकों में प्रदूषण अधिक हो गया था, प्रदूषण बोर्ड ने ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम बना रखा है, इसमें तुरंत मॉनिटरिंग हो जाती है, इसके लिए नोटिस दिया एवं कंपनी ने स्वीकार भी किया। इसमें कंपनी को कहा गया है कि आपकी यह कुछ कमियां हैं, आपकी तकनीक पुरानी हो गई है, तो यह नई मशीनें लगवाएं, इसके सम्बन्ध में 2 महीने तक कंपनी को बंद रखा गया एवं 2 महीने बाद, जब तक सब ठीक नहीं किया गया, कंपनी का काम चालू नहीं हुआ। अतः आप मान कर चले की जब भी कोई अवहेलना करेगा, तो उन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी।

श्री हुक्माराम, ग्राम सरासनी ने कहा कि ब्लारिस्टिंग के मापन के लिए क्या सीस्मोग्राफी का सिस्टम लगा रखा है? जिसके प्रत्युत्तर में अंबुजा कम्पनी प्रतिनिधि ने बताया कि सीस्मोग्राफ का रोजाना मॉनिटरिंग रहती है।

श्री हुक्माराम, ग्राम सरासनी द्वारा पूछा गया कि क्या उसका डाटा पब्लिश होता है? जिसके प्रत्युत्तर में अंबुजा कम्पनी प्रतिनिधि ने बताया कि डाटा पब्लिश नहीं किया जाता है, यह डाटा रिपोर्टिंग ऑथोरिटी (DGMS) को जमा करवाया जाता है।

श्री हुक्माराम, ग्राम सरासनी ने कहा कि वह डाटा पब्लिश होना चाहिए, जिससे आम जनता को पता चले। जिसके प्रत्युत्तर में अंबुजा कम्पनी प्रतिनिधि ने बताया कि सम्बन्धित विभाग से आरटीआई के माध्यम से सूचना मांग सकते हैं।

श्री हुक्माराम, ग्राम सरासनी ने कहा कि इसे इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया जा रहा है? इसे आप डाइरेक्ट पब्लिश कर दो। पहले हम आरटीआई लगायेंगे, फिर वह सम्बन्धित विभाग हमें देगा, इससे अच्छा आप पब्लिश कर दो।

एडीएम महोदय ने श्री हुक्माराम से कहा कि हम इस प्रकार की पॉलिसी के लिए सरकार के समक्ष जरूर बात रखेंगे, कि जो भी कम्पनी काम करती है, उससे सम्बन्धित डाटा जिला स्तर के किसी ऑफिस में या ऑनलाइन पब्लिश हो, ताकि जिसे देखना हो वह ऑनलाइन देख सके।

श्री परमेश्वर भाम्भू, ग्राम सरासनी ने कहा कि अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कम्पनी द्वारा जो दूरी बताई गई है, क्या यह दूरी आपके लिए भी लागू है? कितनी दूरी के


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)


अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

लिए आपने एरिया छोड़ रखा है कि वहां माईनिंग नहीं कर रहे है। आप हमें बताये कि हमने इतनी दूरी छोड़ रखी है। हरित पट्टी कहीं दिखाई नहीं दी।

एडीएम महोदय ने कहा कि अंबुजा सीमेंट प्रतिनिधि अपने माईनिंग प्लान को पुनः प्रदर्शित करें। जैसे कि अगर आपका 100 हैक्टेयर का माईनिंग प्लान है तो उसका पेराफरी एवं बफर मे कितना छोड़ते है।

पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि इस परियोजना में कुल 4.8062 हैक्टेयर एरिया है, जिसमें से 1.30 हैक्टेयर में वृक्षारोपण प्रस्तावित है। इस परियोजना एरिया के चारो तरफ 7.50 मीटर की ग्रीन बैल्ट प्रस्तावित है एवं कुल एरिया में से 1.31 हैक्टेयर अप्रभावित रहेगा, उसे नहीं छोड़ा जायेगा।

एडीएम महोदय ने कहा कि मात्र 4.8062 हैक्टेयर के ब्लॉक PSB12 की माईनिंग के लिए जन सुनवाई रखी गई थी, उसमें काफी विचार आये, पर्यावरण की रक्षा के लिए, इस एरिया के विकास के लिए, सीएसआर एवं सीईआर गतिविधियों में और ठोस कार्यवाही के लिए लोगों द्वारा अपनी-अपनी बात रखी गई।

अन्त में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई से पूर्व, जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत, ग्रामवासियों व उपस्थित जन-समुह द्वारा लिखित में प्रस्तुत आक्षेप/सुझाव/आपत्ति परिशिष्ट "स" पर सलंगन है।


श्री राजकुमार मीणा,
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., नागौर


श्री चंपालाल जीनगर,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर (राज.)

उपस्थिति पंजिका

चूना-पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB12, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8062 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ-0.125775 मिलियन टीपीए, निकट गांव- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थान:- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर

दिनांक: 06.02.2026,

समय: दोपहर 01:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	यशपाल जीजा	ADM	
2	Rajkumar Meena	R.O. RSPCB, Nagaur	
3	Chetan Patel	Unit Head - Ambuja	
4	JITENDRA KUMAWAT	MANES HEAD- AMBUJA	
5	Narsingh	TDR Ngs	
6	Tushar Ranjan Sehoo	Ambuja Cement Ltd.	
7	Hariram Saran	ILR Bhadana	
8	Ravindra	Patwari Mandwa	
9	Dr. Hari Prasad	Ambuja cement Mumbai	
10	Sanjeev kr. Sird	ACL	
11	Shamalan Kumar.	ACL	
12	Ty. Kumar Pemalety	ACL	
13	K. S. Yadav	Ran	
14	Hansraj Nagaura	RSPCB	
15	Hemant Kumar	AEE, RSPCB RD Nagaur	
16	Rajveer Bheker	J.A.	
17	DAVIJAY RAWAT	Ambuja Cement Ltd	
18	Moyank Kumawat	Ambuja cement	
19	Ankit Agrawal	Ambuja - Mandwa	
20	Shiv Yami	Land Dept - Mandwa	
21	Shiv Prasad Gaur	Land mandwa	
22	Narsingh Ram	Land Dept	

उपस्थिति पंजिका

चूना-पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB12, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8062 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ-0.125775 मिलियन टीपीए, निकट गांव- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थान:- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर

दिनांक: 06.02.2026,

समय: दोपहर 01:00 बजे

क्र.स.	नाम	पता	हस्ताक्षर
23.	Dayal Ram	Sarasani	
24.	Shekhar Singh	Sarasani	Shekhar Singh
25.	Ganpat Kala	Sarasani	Ganpat
26.	Ramchand	Sarasani	गणेश
27.	Shaludha	Sarasani	
28.	Suresh	Sarasani	Suresh
29.	Datta Singh	Sarasani	दाता/सिंह
30.	दीपक	Sarasani	दीपक
31.	Harender	Palri Jodha	Harender
32.	Shamley Kumar	Mundug	Shamley
33.	Pradima Kaushik	Sarasani	Pradima
34.	अब्बा राम	सरासनी	अब्बा
35.	कैलाश चन्द	सरासनी	कैलाश चन्द
36.	गणेशाराम	फाराली	गणेश
37.	अमरपाल	कादावाली	अमरपाल
38.	अर्जुन राव	सरासनी	
39.	करण	सरासनी	Karan
40.	सुनील भास्कर	सरासनी	सुनील
41.	प्रकाश	सरासनी	Prakash
42.	रावि राव	सरासनी	Ravi
43.	वसुधा भास्कर	सरासनी	Vasudha
44.	चंडीदास	उड्ड	चंडीदास

उपस्थिति पंजिका

चूना-पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB12, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8062 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ-0.125775 मिलियन टीपीए, निकट गांव- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थान:- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर

दिनांक: 06.02.2026,

समय: दोपहर 01:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
45	राजेरा	डेह	राजेरा
46	RAVEEN KALP	डेह	Praveen
47	सोना राम	सरासनी	
48	रमेशचंद्र	सरासनी	रमेश
49	रतनशर्मा	→ सुभाष	सुभाष
50	मुला राम	← सरासनी	
51	अवि	सरासनी	
52	मंजू	सरासनी	
53	दीदी	सरासनी	
54	मंगीमाना	सोमडा	मंगीमाना
55	जमला	सरासनी	
56	धापूडी	सरासनी	
57	शिवरामडागीवाड	ग्रामतोमवा	शिवराम
58	शामराज	लोखण्ड	
59	सुल्तानसिंह	खालीव	सुल्तानसिंह
60	रामेश्वरमाना	सरासनी	रामेश्वरमाना
61	Mahaveer Singh	Inana	Man
62	Mahendra nath	sarasani	Mahendra nath
63	Omkeendaa	सरासनी	
64	राजेश्वरमाना	सरासनी	राजेश्वरमाना
65	राजेश्वरमाना	"	
66	राजेश्वरमाना	"	

उपस्थिति पंजिका

चूना-पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB12, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8062 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ-0.125775 मिलियन टीपीए, निकट गांव- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थान:- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर

दिनांक: **06.02.2026,**

समय: **दोपहर 01:00 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
67	1. गरीबराम	उधोला	
68	2. मोहन	"	
69	3. Shiv Prasad Gora	Mundwa	
70	4. दामोदर प्रसाद सारख	जडेरा	
71	5. जयरामनाथ	सारासनी	
72	6. पुष्पनाथ	हरीमा	
73	7. शिवजी शर्मा	शिवजी शर्मा	
74	8. हेमंत	शिव	
75	9. Ramdal	Sarasani	
76	10. Shiv Nath	Sarasani	
77	11. Kailash Prasad		
78	12. Man Nath	Sarasani	
79	13. Sujan Nath	Harima.	
80	14. Manaram	Sarasani	
81	15. Kana Ram	Sarasani	
82	16. Dastanath		
83	17. Ram Lal	Sarasani	
84	18. भवानी सिंह	Sarasani,	
85	19. भोजीराम	Sarasani	
86	20. चैना सिंह	Sarasani	
87	21. गोपीकिसन	सारासनी	
88	22. गोपीकिसन	इए	

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

क्रमांक/न्याय/ज.सु.2025/976

दिनांक:-06.02.2026

प्रेषित:-

क्षेत्रीय अधिकारी,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागौर।


विषय:- पर्यावरण जनसुनवाई दिनांक 06.02.2026 के दौरान प्राप्त सहमति/सुझाव/आपत्तियां/अनापत्तियां/शिकायतों के संबंध में।

-00-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि M/s Ambuja Cement Limited के ब्लॉक PSB11, PSB 12, & HPB20 के पर्यावरण जनसुनवाई स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरासनी, तहसील नागौर तिथि दिनांक 06.02.2026 हेतु श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय नागौर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया गया।

उक्त तीनों ब्लॉकों की पर्यावरण जनसुनवाई के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता को कुल 14 सहमति/सुझाव/ आपत्तियां/अनापत्तियां/शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो मूल ही इस पत्र के साथ संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार तीनों ब्लॉकों की कुल 14 मूल सहमति/सुझाव/आपत्तियां/अनापत्तियां/शिकायत-पत्र


(चम्मालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर

RO RSPCB

06/07/2026

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर

प्रशासक

ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति - नागौर

Mob. : 9828897555

क्रमांक

सेवा में,

दिनांक 6/2/25

श्रीमान प्रबंधक महोदय जी

श्री अड़ानी सीमेंट /अपर कलेक्टर महोदय

नागौर

विषय :- जनसुनवाई में निम्न मांगों के संबंध में !

महोदय जी आपसे निवेदन है कि हमारे नागौर क्षेत्र में अड़ानी सीमेंट लिमिटेड कंपनी के द्वारा पर्यावरण से संबंधित जन सुनवाई की जा रही है जिसके अंतर्गत प्रभावित ग्राम हरिमा, सरासनी, खेतोलाव, पिथासिया, वे सोमणा आ रहे हैं अतः हम क्षेत्रवासी अपने अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु निम्नलिखित मांग आपके समक्ष रखते हैं :-

1. गौशाला संचालन हेतु संपूर्ण सहायता दी जाए!
2. ग्राम पंचायत सरासनी के निवासियों की संपूर्ण चिकित्सा निशुल्क करवाना एवं जिसमें डिस्पेंसरी से लेकर हायर सेंट्रल हॉस्पिटल अस्पताल तक की निशुल्क चिकित्सा इलाज (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल दोनों) करवाया जाए!
3. शिक्षा के लिए सहयोग व मॉडल स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद के लिए प्रमोशन एवं बच्चों के लिए खेल मैदान की पूर्ण व्यवस्था पूर्ण सुविधा के साथ की जावे!
4. ग्राम पंचायत सरासनी में पेयजल हेतु हर घर टांका निर्माण (15000 लिटर क्षमता) का करवाया जाए!
5. ग्राम पंचायत सरासनी में सार्वजनिक सीसी ब्लॉक खुरा मय नाली निर्माण सीवरेज निर्माण सीसी रोड मोहल्ले वाईज करवाई जाए !

कार्यालय में
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी
प.स.नागौर

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर

प्रशासक

ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति - नागौर

Mob. : 9828897555

क्रमांक

दिनांक

6. ग्राम पंचायत सरासनी के ग्रामीणों को व्यापार एवं रोजगार ग्राम को प्रथम वरीयता के अनुसार दिया जाए!
7. गांव में धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए
8. गांव में वृक्षारोपण लगाकर सौंदर्यकरण किया जाए!
9. गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट की सुविधा मोहल्ले वाइज की जावे तथा आमगवाड में एक बड़ी हाई मास्क लाइट लगवाई जाए!
10. ग्राम पंचायत सरासनी को जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दिया जाए दुग्ध उत्पादन हेतु सुविधा दी जाए!
11. ग्राम पंचायत सरासनी को अंग्रेजी बबुल मुक्त करवाया जाने में सहायता प्रदान की जाए!
12. ग्राम पंचायत सरासनी के गरीब, विधवा, दिव्यांग व नेत्रहीन परिवारों की आजीविका चलाने के लिए संसाधनों का विकास किया जाए !

प्रस्तावित परियोजना से हमारे गांव का विकास होगा वह प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण बंधुओं का जीवन स्तर बढ़ेगा इसी आशा के साथ निवेदन है कि हमारे उपयुक्त मांगे पूर्ण करवाने के महान कृपा करें! हमारा सहयोग सदा बना रहेगा!

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे उपरोक्त मांगों को अति शीघ्र धरातल पर उतरने की कृपा करें!

हमारा सहयोग बना रहेगा हम इसका पूर्णतया समर्थन करते हैं

बीना कंवर
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी
प.स. नागौर

सुभाष चन्द्र बोस स्मृति स्तूप निर्माण

टीका निर्माण

- ① गुलाम नाथ
- ② भाबु नाथ
- ③ कालू राम नाथ

- ① मणिकु नाथ
- ② मणिलाल नाथ
- ③ राजाशु नाथ

इशिया

डी.डी. ब्लॉक निर्माण 1150 वर्गमीटर

सीकर्ड लाइन 800मीटर काम चल रहा है

RSPCLB

06/02/2026

1

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर

प्रशासक

ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति - नागौर

Mob. : 9828897555

क्रमांक

सेवा में,

दिनांक

श्रीमान प्रबंधक महोदय जी

श्री अड़ानी सीमेंट /अपर कलेक्टर महोदय

नागौर

विषय :- जनसुनवाई में निम्न मांगों के संबंध में !

महोदय जी आपसे निवेदन है कि हमारे नागौर क्षेत्र में अड़ानी सीमेंट लिमिटेड कंपनी के द्वारा पर्यावरण से संबंधित जन सुनवाई की जा रही है जिसके अंतर्गत प्रभावित ग्राम हरिमा, सरासनी, खेतोलाव, पिथासिया, वे सोमणा आ रहे हैं अतः हम क्षेत्रवासी अपने अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु निम्नलिखित मांग आपके समक्ष रखते हैं :-

1. गौशाला संचालन हेतु संपूर्ण सहायता दी जाए!
2. ग्राम पंचायत सरासनी के निवासियों की संपूर्ण चिकित्सा निशुल्क करवाना एवं जिसमें डिस्पेंसरी से लेकर हायर सेंट्रल हॉस्पिटल अस्पताल तक की निशुल्क चिकित्सा इलाज (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल दोनों) करवाया जाए!
3. शिक्षा के लिए सहयोग व मॉडल स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद के लिए प्रमोशन एवं बच्चों के लिए खेल मैदान की पूर्ण व्यवस्था पूर्ण सुविधा के साथ की जावे!
4. ग्राम पंचायत सरासनी में पेयजल हेतु हर घर टांका निर्माण (15000 लिटर क्षमता) का करवाया जाए!
5. ग्राम पंचायत सरासनी में सार्वजनिक सीसी ब्लॉक खुरा मय नाली निर्माण सीवरेज निर्माण सीसी रोड मोहल्ले वाईज करवाई जाए !

बीना कंवर
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी
पं.स.नागौर

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर

प्रशासक

ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति - नागौर

Mob. : 9828897555

क्रमांक

दिनांक

6. ग्राम पंचायत सरासनी के ग्रामीणों को व्यापार एवं रोजगार ग्राम को प्रथम वरीयता के अनुसार दिया जाए!
7. गांव में धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए
8. गांव में वृक्षारोपण लगाकर सौंदर्यकरण किया जाए!
9. गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट की सुविधा मोहल्ले वाइज की जावे तथा आमगवाड में एक बड़ी हाई मास्क लाइट लगवाई जाए!
10. ग्राम पंचायत सरासनी को जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दिया जाए दुग्ध उत्पादन हेतु सुविधा दी जाए!
11. ग्राम पंचायत सरासनी को अंग्रेजी बबुल मुक्त करवाया जाने में सहायता प्रदान की जाए!
12. ग्राम पंचायत सरासनी के गरीब, विधवा, दिव्यांग व नेत्रहीन परिवारों की आजीविका चलाने के लिए संसाधनों का विकास किया जाए !

प्रस्तावित परियोजना से हमारे गांव का विकास होगा वह प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण बंधुओं का जीवन स्तर बढ़ेगा इसी आशा के साथ निवेदन है कि हमारे उपयुक्त मांगे पूर्ण करवाने के महान कृपा करें! हमारा सहयोग सदा बना रहेगा!

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे उपरोक्त मांगों को अति शीघ्र धरातल पर उतरने की कृपा करें!

हमारा सहयोग बना रहेगा हम इसका पूर्णतया समर्थन करते हैं

बीना कंवर
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी
प.स. नागौर

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

वीना कंवर

पंचायत समिति - नागौर

प्रशासक

ग्राम पंचायत सरासनी

Mob. : 9828897555

क्रमांक

सेवा में,

दिनांक 6/2/25

श्रीमान प्रबंधक महोदय जी

श्री अड़ानी सीमेंट /अपर कलेक्टर महोदय

नागौर

विषय :- जनसुनवाई में निम्न मांगों के संबंध में !

महोदय जी आपसे निवेदन है कि हमारे नागौर क्षेत्र में अड़ानी सीमेंट लिमिटेड कंपनी के द्वारा पर्यावरण से संबंधित जन सुनवाई की जा रही है जिसके अंतर्गत प्रभावित ग्राम हरिमा, सरासनी, खेतोलाव, पिथासिया, वे सोमणा आ रहे हैं अतः हम क्षेत्रवासी अपने अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु निम्नलिखित मांग आपके समक्ष रखते हैं :-

1. गौशाला संचालन हेतु संपूर्ण सहायता दी जाए!
2. ग्राम पंचायत सरासनी के निवासियों की संपूर्ण चिकित्सा निशुल्क करवाना एवं जिसमें डिस्पेंसरी से लेकर हायर सेंट्रल हॉस्पिटल अस्पताल तक की निशुल्क चिकित्सा इलाज (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल दोनों) करवाया जाए!
3. शिक्षा के लिए सहयोग व मॉडल स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद के लिए प्रमोशन एवं बच्चों के लिए खेल मैदान की पूर्ण व्यवस्था पूर्ण सुविधा के साथ की जावे!
4. ग्राम पंचायत सरासनी में पेयजल हेतु हर घर टांका निर्माण (15000 लिटर क्षमता) का करवाया जाए!
5. ग्राम पंचायत सरासनी में सार्वजनिक सीसी ब्लॉक खुरा मय नाली निर्माण सीवरेज निर्माण सीसी रोड मोहल्ले वाईज करवाई जाए !

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर

प्रशासक

ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति - नागौर

Mob. : 9828897555

क्रमांक

दिनांक

6. ग्राम पंचायत सरासनी के ग्रामीणों को व्यापार एवं रोजगार ग्राम को प्रथम वरीयता के अनुसार दिया जाए!
7. गांव में धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए
8. गांव में वृक्षारोपण लगाकर सौंदर्यकरण किया जाए!
9. गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट की सुविधा मोहल्ले वाइज की जावे तथा आमगवाड में एक बड़ी हाई मास्क लाइट लगवाई जाए!
10. ग्राम पंचायत सरासनी को जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दिया जाए दुग्ध उत्पादन हेतु सुविधा दी जाए!
11. ग्राम पंचायत सरासनी को अंग्रेजी बबुल मुक्त करवाया जाने में सहायता प्रदान की जाए!
12. ग्राम पंचायत सरासनी के गरीब, विधवा, दिव्यांग व नेत्रहीन परिवारों की आजीविका चलाने के लिए संसाधनों का विकास किया जाए !

प्रस्तावित परियोजना से हमारे गांव का विकास होगा वह प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण बंधुओं का जीवन स्तर बढ़ेगा इसी आशा के साथ निवेदन है कि हमारे उपयुक्त मांगे पूर्ण करवाने के महान कृपा करें! हमारा सहयोग सदा बना रहेगा!

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे उपरोक्त मांगों को अति शीघ्र धरातल पर उतरने की कृपा करें!

हमारा सहयोग बना रहेगा हम इसका पूर्णतया समर्थन करते हैं

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर

प्रशासक

ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति – नागौर

Mob. : 9828897555

क्रमांक

सेवा में,

दिनांक

श्रीमान प्रबंधक महोदय जी

श्री अड़ानी सीमेंट /अपर कलेक्टर महोदय

नागौर

विषय :- जनसुनवाई में निम्न मांगों के संबंध में !

महोदय जी आपसे निवेदन है कि हमारे नागौर क्षेत्र में अड़ानी सीमेंट लिमिटेड कंपनी के द्वारा पर्यावरण से संबंधित जन सुनवाई की जा रही है जिसके अंतर्गत प्रभावित ग्राम हरिमा, सरासनी, खेतोलाव, पिथासिया, वे सोमणा आ रहे हैं अतः हम क्षेत्रवासी अपने अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु निम्नलिखित मांग आपके समक्ष रखते हैं :-

1. गौशाला संचालन हेतु संपूर्ण सहायता दी जाए!
2. ग्राम पंचायत सरासनी के निवासियों की संपूर्ण चिकित्सा निशुल्क करवाना एवं जिसमें डिस्पेंसरी से लेकर हायर सेंट्रल हॉस्पिटल अस्पताल तक की निशुल्क चिकित्सा इलाज (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल दोनों) करवाया जाए!
3. शिक्षा के लिए सहयोग व मॉडल स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद के लिए प्रमोशन एवं बच्चों के लिए खेल मैदान की पूर्ण व्यवस्था पूर्ण सुविधा के साथ की जावे!
4. ग्राम पंचायत सरासनी में पेयजल हेतु हर घर टांका निर्माण (15000 लिटर क्षमता) का करवाया जाए!
5. ग्राम पंचायत सरासनी में सार्वजनिक सीसी ब्लॉक खुरा मय नाली निर्माण सीवरेज निर्माण सीसी रोड मोहल्ले वाईज करवाई जाए !

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर

प्रशासक

ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति - नागौर

Mob. : 9828897555

क्रमांक

दिनांक

6. ग्राम पंचायत सरासनी के ग्रामीणों को व्यापार एवं रोजगार ग्राम को प्रथम वरीयता के अनुसार दिया जाए!

7. गांव में धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए

8. गांव में वृक्षारोपण लगाकर सौंदर्यकरण किया जाए!

9. गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट की सुविधा मोहल्ले वाइज की जावे तथा आमगवाड में एक बड़ी हाई मास्क लाइट लगवाई जाए!

10. ग्राम पंचायत सरासनी को जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दिया जाए दुग्ध उत्पादन हेतु सुविधा दी जाए!

11. ग्राम पंचायत सरासनी को अंग्रेजी बबुल मुक्त करवाया जाने में सहायता प्रदान की जाए!

12. ग्राम पंचायत सरासनी के गरीब, विधवा, दिव्यांग व नेत्रहीन परिवारों की आजीविका चलाने के लिए संसाधनों का विकास किया जाए !

प्रस्तावित परियोजना से हमारे गांव का विकास होगा वह प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण बंधुओ का जीवन स्तर बढ़ेगा इसी आशा के साथ निवेदन है कि हमारे उपयुक्त मांगे पूर्ण करवाने के महान कृपा करें! हमारा सहयोग सदा बना रहेगा!

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे उपरोक्त मांगों को अति शीघ्र धरातल पर उतरने की कृपा करें!

हमारा सहयोग बना रहेगा हम इसका पूर्णतया समर्थन करते हैं

सेवामें,

Ro Asp. B
66/02/2026श्रीमान A.D.M. साहब व अंबुजा प्राणलिंग
के पदाधिकारी जण

विषय :- ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास हेतु।

मान्यवर जी,

साहब नम्र निवेदन है कि हमारी ग्राम पंचायत सरासरी
के निम्नलिखित विकास कार्य करवाने बावत

1. खेतोलाव से डेह तक डामरीकरण
2. खेजड़ी वृक्ष का उचित मुआबजा देने व खेजड़ी के बदले खेजड़ी का वृक्ष लगाना व पौधा रोपण के लिए चार गुणा वृक्ष लगाना।
3. खेल प्रेमियों के लिए स्टेडियम का निर्माण करवाना।
4. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना।
5. टाणियों के में पेयजल की उचित व्यवस्था करना।
6. स्थानिय युवाओं को रोजगार के नियमित अवसर प्रदान किये जावें।
7. खेतों में निर्माण कार्यो का उचित मुआबजा
8. गौशाला में निर्माण कार्य व टिनशैड का निर्माण करवाना।
9. भूमिहीन परिवारों के बसने के लिए प्लॉट व आवास निर्माण
10. देवासी व कालबेलियों के आवास व अन्य मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।
11. ग्राम पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्मिक व समुचित संसाधन उपलब्ध करवाना।
12. CSR व CSR का पूर्ण फंड ग्राम पंचायत में निवेश करना।
13. जरीब परिवारों के लिए टांका निर्माण व शौचालय का निर्माण करवाना।

Signatory

14. 2 मशान भूमि में छतरियों व पौधा रोपण करवाना ।
15. सरासनी फांटा से रेवाड़ डामरीकरण करवाना ।
16. ~~DMFT~~ DMFT (जागांट) ग्राम पंचायत
17. जल निवासी की उचित व्यवस्था
18. पूर्ण खर्च लिया जाये SC+OBC+JEN.
19. जलापूर्ति हेतु टंकी निर्माण कार्य ।
20. सरासनी रामदेव जी के मन्दिर से सरासनी फांटा तक सड़क का पूर्ण निर्माण व चौड़ाई सुनिश्चित करावे ।
21. उच्च अध्ययन हेतु गाँव में पुस्तकालय का निर्माण करवाना)
22. 10 बीघा पर एक टांका स्वीकृत वर्षा जल संग्रहीत कर 50,000 लीटर तक ।
23. प्रत्येक घर पर सोलर लाइट ।




 जगदीशचंद्र

जयाराम
 कान्हा
 सतानवा
 - पुत्र जी लक्ष्मण
 रामदेवराम

मंगलनाथ
 रमेशचंद्र
 गणेश
 सुरेन्द्र

गणपत काला
 भवानी सिंह
 रामचंद्र
 हेमराम

मौजा- हीगाडन रुई

फाइन रिपोर्ट 03-06-2024 को श्रीमान तहसीलदार
ताहलवागौर के आदेश क्रमांक 21/20-05-24 की
पालना हेतु ग्राम मौतबिदान खसरा नंबर 1272/392
पर पहुँचा। मौजे पर 66 F की जरीब व खसरे की
उपस्थिति शीट की तुलना से हीगाडन रिफा गजा
तथा मूल खसरे 392 के निशानात लगावार्पे जाये।
हीगाडन कार्रवाई ठकड़ मौतबिदान खसरे फाइन के
रिफा गजा। हीगाडन रिपोर्ट पढकर हुनारि जमी मोटे
उपस्थित मौतबिदानो के अंगुण- हलतावा कटवानी
जाये।

PL
2. मिलनवागौर

पडलारनाथ
राजाराज

पुनाराज
प. हरीना

सुरक्ष नाथ

Ro RSPCB
06/02/2024

श्रीमान कलेक्टर ताहलवागौर

ग्राम हरीमा की खसरा मूजी से

विषय - खसरा नं० 392 व 393 में खडक निर्माण हेतु


कं-रा-ख-नं- 390 में पटा खसरा नं० 392 व 393 में की डवलुडी फा म्म
मजी खडक निर्माण बंद किया गया है।

पडलारनाथ हरीमा

नकल वकशा केर दिशवार
 मोल - हरीना
 तल - नागौर जिला नागौर
 62 नलरुवरु लकीर



केसल की रिन = 20 21 281



नोट नकशे में शीर मिलान हो

दि 28/10/16

[Handwritten signature]

28/10/16



Ro ASPUB
06/02/2026

5

कार्यालय ग्राम पंचायत भदाणा

पं.स. नागौर, जिला-नागौर (राज.)

श्रीमती चन्दा देवी
(सरपंच) (प्रशासक)

ग्राम.पो. भदाणा (बाना का)
जिला-नागौर (राज.)

क्रमांक:

दिनांक 6/2/2026

सेवा में

अवरिक्त जिला क्वेयर
नागौर (राज.)

विषय- अंबुजा स्पोर्ट्स क्लब का उद्घाटन हुआ पत्थर खदान के सड़क में
गाँव में सामाजिक विकास संकल्प सुझाव

भदोदय,

- 1) गाँव पंचायत भदाणा को पंच लाख पीयायन व ड्रम रख-रखाव के लिए, धी गार्ड आदि
- 2) जल संयंत्र के लिए गाँव में बालवे का पुनर्निर्माण बालवे के फेंडे का 8-10 निर्माण बालवे का स्वीपिंग
- 3) गाँव में सार्वजनिक स्थल पर पार्क की व्यवस्था
- 4) विद्यालय में बच्चों के लिए इच्छा शिक्षा के लिए लैब कंप्यूटर व शिक्षण पुस्तकालय प्रायुक्ति इतने पुस्तक कवचियर रख मजबूत
- 5) युवाओं को रोजगार नयी शर्तों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें
- 6) खेल मैदान का निर्माण करें
- 7) उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करें।
- 8) गाँव पंचायत गाँव भदाणा में स्वीपिंग लार्नि की व्यवस्था की जाए
- 9) किसानों को उचित सुधारणा
- 10) सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के संकल्प में कार्य करें

चन्दा
प्रशासक
ग्राम पंचायत भदाणा
पं.स. नागौर

सवाम,

Ro ASPCB

06/05/2026

श्रीमान अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड,
भारवाड़-मूण्डवा, नागौर

विषय:- शमसान भूमि के चार दिवारी करने बाबत

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मेधवाल समाज, गोगवाना कि शमसाब
भूमि के चार दिवारी व पौधा लगवाने का कार्य व मेधवाल समाज
समाज के भवन का विस्तार करने बाबत आप से निवेदन है कि
हमारे ग्रामवासी व समाज की आपसे अनुरोध है कि हमारा काम
जल्दी करवाने के कष्ट करें। अतः हम सभी ग्रामवासी व समाज
अंबुजा सीमेंट्स के आभारी रहेंगे

भवदीय

नाम- समस्त समाज व ग्रामवासी
पता VPO- गोगवाना

शमामलाल - 9660513186

राजू गठापत

वीरधर

चिमनाराज

रामलाल
केलाश

रमेश

कवकराम

सुरलाल राकेश

सुरवराम

Rajy

पांचराम

शंकरलाल

धरम

अशोक

अंबुजाराम

Rand

अशोक

सेवामे,

RO RSPCB

06/07/2026

अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड,
माखाड-मूण्डा, नागौर

विषय - : भेरुजी मन्दिर के चार दीवारी व पानी की टंकी बाबर

सादर निवेदन है कि हमारे गांव-गगवाना भेरुजी महाराज के मन्दिर के चार दीवारी व एक पानी टंकी और पशु चिकित्सालय में मे पानी का टंका बनवाने का कार्य करवाने कि कृपा करें यह सर्वोपार्जिक कार्य करवाने का कष्ट करें।

अब आप कि कृपा होगी और गगवाना ग्रामवासी हमला आप का आभारी रहेगा।

भवदीय
समस्त ग्रामवासी
गगवाना

श्यामलाल



पांचाराम

श्यामलाल

चिमनाराम


कुलश्री

गणपत

शंकरलाल

रमेश

बीजाराज





जेताराम



RO RSPCB
06/02/2026

श्रीमान आरिक्त जिला कलेक्टर महोदय

नागौर

दिनांक - 6/2/26

- श्रीमान जी ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम- गगवाना खेतोलाव व सुरजनियावास तीनों गांवों को कम्पनी के द्वारा गोंद लिमा जावे ताकि गांवों का विकास हो सके!
- ग्राम पंचायत गगवाना को वर्ष 2020 में ODF (ओपन डेफिकेशन फ्री - खुले में शौच मुक्त) घोषित कर दिया गया था जबकि हकीकत यह है कि ग्राम पंचायत- गगवाना की 80% आबादी खुले में शौच करती है अतः ग्राम- गगवाना खेतोलाव व सुरजनियावास के प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण करवाया जाये।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पीने के स्रोत तालाब हैं जो कम वर्षा होने के कारण कुछ माहों में पानी सूख जाता है जिसके कारण यहां के लोगों को मीठा पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है अतः ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम- गगवाना खेतोलाव व सुरजनियावास के प्रत्येक घर टांका (होद) का निर्माण करवाया जाये जिसका सम्पूर्ण खर्चा को वरक कम्पनी द्वारा की जावे।
- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम- गगवाना खेतोलाव व सुरजनियावास के मूल निवासियों को कम्पनी में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाये।
- पर्यावरण को बढावा देने के लिये ग्राम पंचायत के समस्त गांवों की सड़कों के दोनों ओर व तालाबों विद्यालयों व शौचर भूमि में अधिक से अधिक पेधारेपण मय सुरक्षा

की जाये। साथ इनका रख रखाव कमसे कम 2 वर्ष तक करे।

शिक्षा

- ग्राम पंचायत गगवाना के समस्त गांवों के समस्त विद्यालयों के विकास हेतु कमरों का निर्माण टेबल कुर्सी जिन विद्यालयों के चार दीवारी नहीं है उनके चार दीवारी निर्माण विद्यालयों में पानी- बिजली की समुचित व्यवस्था स्टाफ हेतु ओफिसियल कार्य हेतु टेबल कुर्सी अलमारी की व्यवस्था मिड डे मिल के लिए राशन स्टोर किचन रूलर व वर्न जैसी समस्त उपयोगी व्यवस्था। साथ ही कक्षा कमरों को डिजिटल क्लास कम बनाये।
 - विद्यार्थियों हेतु विद्यालयों को भावदित खेल भूद के मैदानों को विकसित करवाना तथा खेल भूद मैदानों के चार दीवारी का निर्माण करवाना। स्कूल में टोइलेट का निर्माण करे।
- ### चिकित्सा

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम खेतोलोक की कुल आबादी 15000 से अधिक है जो मजदूरी पर निर्भर है प्राथमिक उपचार हेतु ग्रामवासियों को दूसरे गांवों में जाना पड़ता है अतः ग्राम में "प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र" खोला जाये। तथा नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करे। ANM की व्यवस्था भी की जावे।
- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-गगवाना खेतोलोक सुरजनितभावास स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में प्राथमिक उपचार हेतु उपयोग में आने वाले चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की जावे।

बिजली

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-गगवाना खेतोलाव व सुरजनिधावास के मुख्य स्थानों जैसे- विद्यालय, उपस्वास्थ्य केन्द्र मन्दिर काम गवाड़ खेतमर्दा इत्यादि में हाइमास्क लाइटें लगाई जायें।

सिक्वेज

- ग्राम पंचायत के नीचे गांवों में सिक्वेज लाइन डालने का कार्य किया जावे।

पार्क व जिम सेंटर

- ग्राम पंचायत के ग्राम-खेतोलाव सुरजनिधावास व गगवाना के मुख्यालय पर एक-2 पार्क विकसित किया जावे उसमें युवाओं के लिए समन्वित जिम सेंटर भी स्थापित करें।

सड़कें

- ग्राम पंचायत-गगवाना के मुख्यालय जोड़ने हेतु ग्राम-खेतोलाव से गगवाना तक डामर सड़क का निर्माण करवायें। तथा नीचे गांवों के शाखाओं को आपस में जोड़ने वाले मार्गों का डामर सड़क या ग्रेवल सड़क का निर्माण करवायें। ग्राम पंचायत के नीचे गांवों के आबादी क्षेत्रों में कीचड़ व नल भरान की समस्या के समाधान हेतु ब्लॉक व सीसी सड़कों का निर्माण

सार्वजनिक भवन व लाइब्रेरी

- ग्राम पंचायत गणवाना के नीचे गांवों के मुख्यालय पर एक-2 सार्वजनिक भवन व लाइब्रेरी का निर्माण करावे ।

कृषि

- किसानों के लिए बेहतर फसल उत्पादन हेतु पीठ, शीत हाऊस व बूंद-2 सिंचाई हेतु एक कास्तकार को कोषिकसे कोषिक हेक्टर पर अनुदान दिया जावे । राज्य सरकार के मांति कृषि पत्रों के खरीद पर भी अनुदान दिया जावे । फसलों के बचाव हेतु मेडवन्दी तारवन्दी में भी अनुदान दिया जावे ताकि फसल को ^{जगती} सूँठने व जाकारा पशुओं से सुरक्षा की जा सके । कृषि उपजाऊ भूमि हेतु किसानों को जैविक खाद व जिप्सम को अनुदान पर उपलब्ध कराया जावे ।

गौशाला

- गौवंश व जाकारा पशु हेतु ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में गौशाला के चारा भण्डारण हेतु कमरों का निर्माण कराया जावे ।

(4)

सार्वजनिक भवन व लाइब्रेरी

- ग्राम पंचायत गणवाना के नीचे गांवों के मुख्यालय पर एक-2 सार्वजनिक भवन व लाइब्रेरी का निर्माण करावे ।

कृषि

- किसानों के लिए बेहतर फसल उत्पादन हेतु फॉण्ड, ग्रीन हाऊस व बुंद-2 सिंचाई हेतु एक कास्तकार को ऑपकसे कृषिक हेक्टेयर पर अनुदान दिया जावे / राज्य सरकार की भांति कृषि पत्रों के खरीद पर भी अनुदान दिया जावे । फसलों के बचाव हेतु मेडवनी तारबन्दी में भी अनुदान दिया जावे ताकि फसल को ^{जंगली} सूअरों व जाकारा पशुओं से सुरक्षा की जा सके । कृषि उपजाऊ भूमि हेतु किसानों को जैविक खाद व जिप्सम को अनुदान पर उपलब्ध करवाया जावे ।

गौशाला

- गौवंश व जाकारा पशु हेतु ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम में गौशाला व चारा भण्डारण हेतु कमरों का निर्माण करवाया जावे ।

(5)

पानी

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम स्वतंत्रता लोका व सुरजनिधावास की सरकारी ट्यूबवेल पिछले कुछ वर्षों से बंद पड़ी है नई ट्यूबवेल खुदवाकर ग्रामजन व पशुओं के लिए पानी की उचित व्यवस्था की जाए।

- गांवों में जहां-2 JLR नहीं है उन मोहल्लों में JLR का निर्माण करवाकर सरकारी ट्यूबवेल से जोड़ा जाए।

- पशुधन के लिए पानी पीने के लिए खलिपों का निर्माण किया जाए।

- ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण व पानी पीने का सबसे बड़ा स्रोत नालाब है नालाबों की सुद लेंकर उनके चारों ओर दीवार व फटे का निर्माण करवाया जाए।

- ग्राम स्वतंत्रता लोका व सुरजनिधावास के लिए नदरी पानी हलु बड़ी टंकी निर्माण करवाया जावे तथा उत्प्रेक दोनों गांवों की दाणियों को नदरी पानी से जोड़ा जाए।

महिला सशक्तिकरण हेतु

- ग्राम पंचायत गंगवाना के ग्राम-स्वतंत्रता व सुरजनिपावास में भांगनवाड़ी केन्द्र विद्यालयों में संचालित हो रहे हैं उनके लिए प्रथक रूप से भवनों का निर्माण किया जावे।
- भांगनवाड़ी केन्द्रों पर महिलाओं हेतु चिकित्सा सुविधा व सेनेयरी नेप की उपलब्ध करवावे।
(किशोरी बालिकाओं व महिलाओं)
- ग्राम गंगवाना के भांगनवाड़ी केन्द्र जो जर्जर अवस्था में हैं उनकी मरम्मत का कार्य करवाया जावे।

① सौर लाइट के लिए 3 किलो वार पर सरकार 78000 हजार रु पे दे रही है में अनुशेष करता हूँ सामुजा काउन्सिल से कुछ साहायता शक्ति आय मिलाकर दि जाए इससे किसानों को सुविधा हो सके वे सौर ज्यादा-ज्यादा लगा पाएँ।

डिप्टी
वाय
300108885

जयसिंह
(7442515121)
अनिल
(9929918442)

गणेशदास

⑦

जरेन्द्रसिंह
(9521419779)

* स्कूली बच्चों को शैक्षिक भ्रमण कम्पनी में
करवाये

* आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी जिन्होंने गण्ड से
उत्पाद अंक प्राप्त किए हैं उन्हें 12 कक्षा के बाद
एक वर्ष की कोचिंग कराने का पूरा पहलु करे

(8)

RO RSPCB
06/02/2026

8

OFFICE: - MAHATMA GANDHI GOVERNMENT SCHOOL, GAGWANA

BLOCK- NAGAU, R,

DISTRICT -NAGAU R

Shaladarpan NIC ID:- 400048		U-Dise- 08140804604	
<u>Dispatcher:-</u> PRINCIPAL Mahatma Gandhi Govt. School Gagwana (Nagaur)		<u>Consignee:-</u> Manager Ambuja Foundation Marwar Mundwa	

S.N. :- MGGS/GAGWANA/2025-26/230

Date:-04-02-2026

Subject :- To provide fund for Make a new Water Tank (Tanka) / rooms and *sanitary napkin* **toilets for girls** and stage for cultural programs.

Sir,

It is our request to you to make/ build a new water tank (टांका) in school.

And Sir, there are insufficient rooms in our school for students to sit proper class wise. And **toilet for girls** is dilapidated.

So, It's our request to you to use CSR fund to make/repair for the same. Our school, specially our students always will remain indebted to you.

प्रशासक
ग्राम पंचायत गगवाना
पंचायत समिति नागौर

Sumitra
PRINCIPAL
MGGS GAGWANA (NAGAU R)
U-DISE - 08140804604

शिक्षा विभाग
कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरासनी

पं.स. नागौर, जिला - नागौर (राज.)

प्रेषक :-

प्रधानाचार्य

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरासनी

U-DISE CODE - 08140811902

SCHOOL NIC ID - 219877

RO RSPERS
06/02/2026

प्रेषिति

श्रीमान्

प्रबन्धक अम्बुजा सीमेंट
लिमिटेड

क्रमांक : रा.उ.मा.वि./सरासनी/25-26/780

दिनांक 05/02/2026

विषय :- विद्यालय विकास में योगदान हेतु मांग पत्र

इस विद्यालय में निम्नानुसार सामग्री एवं सहयोग की
अति आवश्यकता है :-

1. भोजनशाला
2. ब्लॉक इन्टर ब्लॉक
3. स्टेज हेतु टीन शेट
4. पार्किंग-व्यवस्था
5. बास्केट बाल ग्राउंड
6. चिल्ड्रन ग्राउंड प्ले ग्रुप
7. प्ले ग्रुप फर्निचर (कक्षा 1 से 5)
8. डिजीटल लाइब्रेरी मय फर्निचर
9. भूगोल एवं विज्ञान प्रयोगशाला
10. छात्राओं के लिए पृथक लॉयरेट, पैड वेडिंग मशीन मय इन्श्रीनरेटर



प्रधानाचार्य

अध्यक्ष

सचिव

विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

सरासनी (नागौर)

कार्यालय ग्राम पंचायत सोमणा


पंचायत समिति, जायल (नागौर)

निवास :

सरस्वती सोमड़वाल

सरपंच

ग्राम पंचायत, सोमणा



श्री मांगीलाल सोमड़वाल, ग्राम - सोमणा,

तह. जायल, जिला - नागौर (राज.) 341022

मो. 9828763425, 9950929758

क्रमांक: 51

लिमिटेड कम्पनी

RO RSPUB
06/02/2026

दिनांक 6/2/26

श्रीमान् -

अंबुजा सीमेंट्स
प्लॉक नंबर H.P.B.20
हरीमा, सरासनी एवं सोमणा

विषय - निवेदन है कि हमारी ग्राम पंचायत सोमणा में सार्वजनिक काम करवाने की बाबत -

- (1) सार्व. तालाब या मुख्य नाली गांव के दक्षिण में स्थित है जो कि पत्थर होने के कारण सुदार् कार्य।
- (2) हमारे गांव में ग्राम पंचायत कि जमीन में खेल मैदान करवाने की बाबत।
- (3) हमारे गांव में सार्वजनिक लाईब्ररी कोपरेटीव सोसायटी में पानी का होद।
- (4) सार्व. सामुदायिक भवन के पास पानी का होद एवं बाथरूम।
- (5) सार्व. रास्ते पर खुरा था सी. सी. निर्माण था 3 रास्ते
- (6) सार्व. रास्ते पर लाईट लगाना।
- (7) गांव में पुस्कारोपण एवं सौदयीकरण किया जाना चाहिए।
- (8) खनन क्षेत्र एवं आस-पास के गांवों में वर्षा संचयन एवं जल संचयन एवं जल संरक्षण के कार्य कराए जाए।
- (9) भविष्य में जल प्रदूषण / कमी की स्थिति में कंपनी द्वारा स्वच्छ पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि हमारी ग्राम पंच. सोमणा में मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड प्लॉक नं. H.P.B.20 आया हुआ है सार्वजनिक विकास कार्य करवाने की कृपा करें।

सरस्वती
(सरस्वती सोमड़वाल)
प्रशासक
ग्राम पंचायत सोमणा

RO RSPcB
06/04/2018

- (1) श्रीमान प्रभारी आधिकारी
पर्यावरणीय जनसुनवाई, प्रशासन डेम्प, सरासनी (नागौर)
- (2) श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी
जिला प्रदूषण नियंत्रण मंडल
नागौर।

विषय:- अम्बुजा सिमेन्ट के ब्लॉक PSB-01, PSB-02, PSB-06, PSB-07 तथा HPB-20 से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज कराने बाबत (PSB-11, PSB-12)

मान्यवर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अम्बुजा सिमेन्ट के प्रस्तावित ब्लॉकों PSB-01, PSB-02, PSB-06, PSB-07 तथा HPB-20 (एच.पी.बी.20) से सम्बन्धित पर्यावरणीय लोक सुनवाई के सम्बन्ध में हमारी ओर से निम्न आपत्तियाँ हैं:-

1. पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना की रिपोर्ट में अम्बुजा सिमेन्ट द्वारा कई तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है जिसमें इन्होंने 10 किमी. की रेडियस में केवल 4 बड़ी तथा 2 छोटी नाडियों का जिक्र किया है जो पूर्णतः गलत है जबकि इस क्षेत्र में लगभग 15 बड़ी नाडियाँ तालाब तथा 20 छोटी नाडियाँ मौजूद हैं, जिनका यहाँ खनन होने से बेहाव क्षेत्र 'पूर्वतिया खत्म हो जायेगा।
2. उक्त रिपोर्ट में अम्बुजा सिमेन्ट क. द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थित वन्य जीवों का आँकड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। तथा उनकी संख्या का खुलासा भी नहीं किया गया है इस क्षेत्र में 'भारतीय मोर' बहुतायत संख्या में मौजूद हैं जो इस क्षेत्र में स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। भारतीय मोर को 'वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की अनुसूची-I के तहत संरक्षित करते हुए इसे उच्चतम सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अन्तर्गत मोर को मारना या नुकसान पहुँचाना या उसका जीवन संकटापल की परिस्थितियाँ पैदा करना कानूनन अपराध है जिसमें 7 वर्ष की सजा तक का प्रावधान है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है जिसकी सुरक्षा आवश्यक है।
3. उक्त क्षेत्र के पास पर्यावरण प्रशिक्षण केन्द्र ग्राम-हरिमा में स्थित है जिसमें अनुसूची-II के अन्तर्गत आने वाले वन्य जीवों की कई प्रजातियाँ संरक्षित हैं जो उक्त खनन क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचरण

करती हैं तथा हजारों की संख्या में कई प्रजाति की वनस्पतियों, पेड़ पौधे मौजूद हैं जिन पर उच्च प्रस्तावित खनन के दौरान होने वाले प्रदूषण से संकट उत्पन्न होने का पूर्ण खतरा है।

4. अम्बुजा क. के उच्च प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खेजड़ी, केर, रोहिड़ा, खबूल तथा अन्य उपयोगी पौधे बहुतायत संख्या में मौजूद हैं। तथा खेजड़ी राजस्थान का राज्यवृक्ष है जिसे धार का 'कल्पवृक्ष' की संज्ञा दी गई है। इसके पत्ते (लूंग) पशुओं के चारे, फल (साँगरी) - सब्जी और पोषण के लिए, लकड़ी - ईंधन व घरेलू उपयोग के लिए और इसकी छाल व पत्तियाँ औषधीय उपयोग में आती हैं। तथा सरकार भी समय-समय पर 'खेजड़ी' को बचाने के लिए कार्यक्रम संचालित करती है तथा अभी बीकानेर में खेजड़ी को बचाने के लिए एक बड़ा जन-आंदोलन चल रहा है लेकिन यहाँ बहुतायत संख्या में मौजूद 'खेजड़ी' के पेड़ पर, उसके अस्तित्व पर भारी खतरा मंडरा रहा है। इसी प्रकार का खतरा इस क्षेत्र में जन आंदोलन के रूप में पैदा ना हो इसके लिए इस जनसुनवाई के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में लिखित आश्वासन के रूप में दिया जावे।

5. उच्च प्रस्तावित खनन क्षेत्र 547.55 हेक्टेयर में से 72 हेक्टेयर चारणार तथा 230.87 (दो सौ) हेक्टेयर सरकारी भूमि प्रभावित हो रही है। इस भूमि पर इस क्षेत्र के निवासियों एवं प्रभावित व्यक्तियों का प्रथम धारणाधिकार है। गोचर-ओरण भूमि संरक्षण हेतु राज्य में जैसलमेर लमोरराय से जयपुर तक पैदल यात्रा संघर्ष के रूप में जारी है। इन शान्ति क्षेत्र में उच्च भूमि का क्षरण कर जन भावना को अनावश्यक रूप से उत्तेजनामय न बनाया जावे इसलिए इस भूमि का उपयोग आधिकार सुरक्षित किया जावे जो प्रशासन द्वारा लिखित रूप से प्रस्तुत हो।

6. उच्च प्रस्तावित खनन क्षेत्र में प्रचलित आम सुखाचार एवं करणी उपयोग उपभोग के सरकारी एवं गाँव रास्तों (गाँव से गाँव तक) का पूर्ण संरक्षण व सुरक्षा बहुत ही लाजमी है। इन सम्बन्ध में मात्र मौखिक आश्वासन तक सीमित रखा जा रहा है जिसे जनता के समक्ष लिखित रूप से संरक्षण व सुरक्षा का वचन दिया जावे।

7. इस प्रस्तावित खनन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रशासन तथा प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जनता को गुमराह करते हुए मात्र "पर्यावरण सुरक्षा" की जायेगी के शब्दों तक सीमित रखा जा रहा है। इसे आम जनता की भागीदारी के रूप में प्रशासनिक सहमति के रूप में

में भाग मानते हुए प्रस्तुत किया जावे।

8. इस प्रस्तावित खनन क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व एक क्षेत्रीय अनुमति अभियान / सहमति प्रभाव के रूप में आम जनता को समझाते हुए बिना दबाव, बिना प्रभाव बिना हस्तक्षेप के संपादित कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करावे। इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही आवश्यक है।

9. इस प्रस्तावित खनन क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वीकृति जन सुनवाई कार्यक्रम में जिला प्रशासन की भागीदारी से संपादित की जा रही है परन्तु जिला प्रशासन द्वारा इस जन सुनवाई बाबत सघन रूप से प्रचार प्रसार नहीं किया गया है इसलिए आगामी कार्यवाही जो भी संपादित की जायेगी इस सम्बन्ध में आम जनता को इससे अवगत करवाना सुनिश्चित किया जावे।

10. उक्त प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन से उत्पन्न धूल मिट्टी को ढबाने एवं अन्य अन्तर्निहित व्यवस्था के लिए 150 किलोमीटर पानी प्रतिदिन की आवश्यकता बताई गई है जबकि प्रस्तावित पर्यावरणीय अनुमति से सम्बन्धित क्षेत्र से 'डार्क जोन' प्रभावित क्षेत्र है। अम्बुजा क. के गत अनुभव यह बताते हैं कि पर्यावरणीय अनुमति के लिए मात्र डूबे अधश्वासन के रूप में प्रकट किया जा रहा है, धरातल पर पूर्णतः इसके विपरीत स्थिति है। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन धरातलीय कार्यवाही बाबत प्रत्येक बार जनता को सूचित किया जावे।

अतः बिन्दुवार उपरोक्त आपत्तियाँ प्रस्तुत कर विवेदन है कि इनके समाधान के पश्चात एवं समाधान हेतु की गई कार्यवाही से जनता को अवगत कराने के पश्चात ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।

आदर।

मूल पाराम
ग्राम - सरासनी

Dinesh
सरासनी 982771931

विजयलक्ष्मी

9226
(निर्देश - चर)

ग्राम हरीमा

9460035154

Hemant Ram
9928150111

भवदीय

अनिल राम
(अनिल वारुपाल)
MO - 9414269973
डोमड मा 2) सरासनी

9982784044

सुरासनी
सरासनी

श्रीमान प्रभारी आधिकारी
पर्यावरणीय जनसुनवाई, प्रशासन डेम्प, सरासनी (नागौर)

(2) श्रीमान क्षेत्रीय आधिकारी

जिला प्रदूषण नियंत्रण मंडल
नागौर।

Ro PSpCB
02/12/2016

विषय:- अम्बुजा सिमेन्ट के ब्लॉक PSB-01, PSB-02, PSB-06
PSB-07 तथा HPB-20 से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभा
आंकलन एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना के सम्बन्ध में
आपत्ति दर्ज कराने बाबत (PSB-11, PSB-12)

मान्यवर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अम्बुजा सिमेन्ट के प्रस्तावित ब्लॉक
PSB-01, PSB-02, PSB-06, PSB-07 तथा HPB-20 (एच.पी.बी.)
से सम्बन्धित पर्यावरणीय लोकसुनवाई के सम्बन्ध में हमारी ओ
से निम्न आपत्तियाँ हैं:-

- पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना की
रिपोर्ट में अम्बुजा सिमेन्ट द्वारा कई तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश
किया है जिसमें इन्होंने 10 किमी. की रेडियस में केवल 4 बड़ी व
2 छोटी नाडियों का जिक्र किया है जो पूर्णतः गलत है जबकि इस
क्षेत्र में लगभग 15 बड़ी नाडियाँ तालाब तथा 20 छोटी नाडियाँ मौजूद
हैं, जिनका यहाँ खनन होने से बंहाव क्षेत्र 'पूर्णतया खत्म हो जायेगा'
- उक्त रिपोर्ट में अम्बुजा सिमेन्ट क. द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थित
वन्य जीवों का आँकडा तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। तथा उनकी
संख्या का खुलासा भी नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में 'भारतीय
मोर' बहुतायत संख्या में मौजूद है जो इस क्षेत्र में स्वच्छंद और
स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। भारतीय मोर को 'वन्यजीव
संरक्षण अधिनियम-1972 की अनुसूची-I के तहत संरक्षित कर
हुए इसे उच्चतम सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अन्तर्गत मोर को
मारना या नुकसान पहुँचाना या उसका जीवन संकटापन की परि
स्थितियाँ पैदा करना कानूनन अपराध है जिसमें 7 वर्ष की सजा
का प्रावधान है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है जिसकी सुरक्षा आवश्यक
- उक्त क्षेत्र के पास पर्यावरण प्रशिक्षण केन्द्र ग्राम-हरिमा में स्थित
है जिसमें अनुसूची-I के अन्तर्गत आने वाले वन्यजीवों की कई
प्रजातियाँ संरक्षित हैं जो उक्त खनन क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से वि

करती हैं तथा हजारों की संख्या में कई प्रजाति की वनस्पतियाँ पेड़ों पाँधों मौजूद हैं जिन पर उच्च प्रस्तावित खनन के दौरान होने वाले प्रदूषण से संकट उत्पन्न होने का पूर्ण खतरा है।

4. अम्बुजा क. के उच्च प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खेजड़ी, केर, रोहिड़, बबूल तथा अन्य उपयोगी पाँधे बहुतायत संख्या में मौजूद हैं। तथा खेजड़ी राजस्थान का राज्यवृक्ष है जिले धार का 'कल्पवृक्ष' की संज्ञा दी गई है। इसके पत्ते (लूंग) पशुओं के चारे, फल (साँरी) - सब्जी और पोषण के लिए लकड़ी - ईंधन व धरेलु उपयोग के लिए और इसकी छाल व पत्तियाँ औषधीय उपयोग में आती हैं। तथा सरकार भी समय-समय पर 'खेजड़ी' को बचाने के लिए कार्यक्रम संचालित करती है तथा अभी बीकानेर में खेजड़ी को बचाने के लिए एक बड़ा जन-आंदोलन चल रहा है लेकिन यहाँ बहुतायत संख्या में मौजूद 'खेजड़ी' के पेड़ पर इसके अस्तित्व पर भारी खतरा मंडरा रहा है। इसी प्रकार का खतरा इस क्षेत्र में जन आंदोलन के रूप में पैदा ना हो इसके लिए इस जनसुनवाई के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में लिखित आश्वासन के रूप में दिया जावे।

5. उच्च प्रस्तावित खनन क्षेत्र 547.55 हेक्टेयर में ले 72 हेक्टेयर चारणधर तथा 230.87 (दो सौ) हेक्टेयर सरकारी भूमि प्रभावित हो रही है। इस भूमि पर इस क्षेत्र के निवासियों एवं प्रभावित व्यक्तियों का प्रथम धारणाधिकार है। गोचर-ओरण भूमि संरक्षण हेतु राज्य में जसलमेर त्तोरराच से जयपुर तक पैदल यात्रा संघर्ष के रूप में जारी है। इस शान्त क्षेत्र में उच्च भूमि का क्षरण कर जन भावना को अनावश्यक रूप से उत्तेजनाप्रय न बनाया जावे। इसलिए इस भूमि का उपयोग आधिकार सुरक्षित किया जावे जो प्रशासन द्वारा लिखित रूप से प्रस्तुत हो।

6. उच्च प्रस्तावित खनन क्षेत्र में प्रचलित आम सुखाचार एवं करानी उपयोग उपयोग के सरकारी एवं गाँव-गाँव रास्तों (गाँव से गाँव तक) का पूर्ण संरक्षण व सुरक्षा बहुत ही लाजमी है। इस सम्बन्ध में मात्र मौखिक आश्वासन तक सीमित रखा जा रहा है जिले जनता के समक्ष लिखित रूप से संरक्षण व सुरक्षा का वचन दिया जावे।

7. इस प्रस्तावित खनन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रशासन तथा प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जनता को गुमराह करते हुए मात्र "पर्यावरण सुरक्षा" की जायेंगी के शब्दों तक सीमित रखा जा रहा है। इसे आम जनता की भागीदारी के रूप में प्रशासनिक सहमति के रूप में

में भाग मानते हुए प्रस्तुत किया जावे।

8. इस प्रस्तावित खनन क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व एक क्षेत्रीय अनुमति अभियान / सहमति प्रभाव के रूप में आम जनता को समझाने हुए बिना दबाव, बिना प्रभाव बिना हस्तक्षेप के संपादित कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करावे। इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही आवश्यक है।

9. इस प्रस्तावित खनन क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वीकृति जन सुनवाई कार्यक्रम में जिला प्रशासन की भागीदारी से संपादित की जा रही है परन्तु जिला प्रशासन द्वारा इस जन सुनवाई बाबल खर्च रूप से प्रचार प्रसार नहीं किया गया है इसलिए आगामी कार्यवाही जो भी संपादित की जायेगी उस सम्बन्ध में आम जनता को इससे अवगत करवाना सुनिश्चित किया जावे।

10. उक्त प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन से उत्पन्न धूल मिट्टी को दबाने एवं अन्य अनर्निहित व्यवस्था के लिए 150 किलोमीटर पानी प्रतिदिन की आवश्यकता बताई गई है जबकि प्रस्तावित पर्यावरणीय अनुमति से सम्बन्धित क्षेत्र से 'डार्क जेन' प्रभावित क्षेत्र है। अम्बुजा क. के गल अनुभव यह बताते हैं कि पर्यावरणीय अनुमति के लिए माज इसे अश्वालन के रूप में प्रकट किया जा रहा है, धरतल पर पूर्णतः इसके विपरीत स्थिति है। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन धरतली कार्यवाही बाबत प्रत्येक बार जनता को सूचित किया जावे।

अतः बिन्दुवार उपरोक्त आपत्तियाँ प्रस्तुत कर विवेदन है कि इनके समाधान के पश्चात एवं समाधान हेतु की गई कार्यवाही से जनता को अवगत कराने के पश्चात ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।

सादर।

भवदीय

प्रधानाध्यक्ष हरीमा

जि.सु.सं. 111

हरीमा
(अनिल बरुपाल)

MO - 94 14269973

Dinesh
मालवी
9521771931

9226
(नि.सं. 111)

ग्राहक हरीमा

9460035154

द्वारा प्रशासनी

9079864778

अशोक रावत

8949154557

आम उपाय

9382785844
साहानी

महाराज

पेमाशान

नरहरि

RO RSPCB

06/02/2026

Date

किरपा कि टाणियों के पोस्ट


1. किरपा कि टाणियों के तुरा निर्माण
2. रोड बाईट
3. टंकल कि काकड़ी और पदु पोधा और निर्माण
4. पानी कि टकस्था पीने और दुस्तेमाल
5. लमबान भूमा पर मोक्ष धाप के निर्माण

07 नराम नरक व
 गुलाबगंध Capt. Megha Ka



Latitude: 27.265507
Longitude: 73.918421
Elevation: 319.63±17.1 m
Accuracy: 9.747 m
Time: 03-02-2026 16:36
Note: v

Powered by *SurveyCam*



Latitude: 27.264989
Longitude: 73.919412
Elevation: 306.65±9.84 m
Accuracy: 11.15 m
Time: 03-02-2026 16:20
Note: r


Powered by NoteCam







Latitude: 27.264075
 Longitude: 73.918023
 Elevation: 304.2±16.7 m
 Accuracy: 17.91 m
 Time: 03-02-2026 16:51
 Note: v









Latitude: 27.262192
Longitude: 73.91739
Elevation: 315.77±11.9 m
Accuracy: 10.01 m
Time: 03-02-2026 16:41
Note: v







Latitude: 27.265598
Longitude: 73.918565
Elevation: 303.92±8.0 m
Accuracy: 5.543 m
Time: 03-02-2026 16:36
Note: v